झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :– 1/पी०एम०सी०/कार्य/636/2011– .... राँची, दिनांक ....

प्रेषक,

ई० सुनील कुमार सिन्हा,
संयुक्त सचिव (अभि०)।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड
पो०–हिनू, राँची।

द्वारा :– **आंतरिक वित्तीय सलाहकार**

विषय :– **मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर प्रक्षेत्रान्तर्गत चाको वीयर योजना के वीयर, गाईड बाँध एवं नहरों के बाँध मरम्मति/तल सफाई एवं संरचनाओं के मरम्मति एवं पुनर्स्थापन कार्य के लिए ₹ 203.28 लाख (दो करोड़ तीन लाख अठाईस हजार) के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

आदेश स्वीकृत

2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर प्रक्षेत्रान्तर्गत चाको वीयर योजना के वीयर, गाईड बाँध एवं नहरों के बाँध मरम्मति/तल सफाई एवं संरचनाओं के मरम्मति एवं पुनर्स्थापन कार्य के लिए ₹ 203.28 लाख (दो करोड़ तीन लाख अठाईस हजार) के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. प्रस्तावित पुनर्स्थापन कार्य अंतर्गत निम्नांकित कार्य कराया जायेगा :–

i) चाको वीयर के U/S में Right Guide Bandh का निर्माण कार्य।
ii) चाको मुख्य नहर के चेन 0.00 से 320.00 चेन तक का पुनर्स्थापन कार्य।
iii) कोटेया वितरणी के चेन 0.00 से चेन 143.00 तक का पुनर्स्थापन कार्य।
iv) गांगो उप वितरणी के चेन 0.00 से 80.00 चेन तक का पुनर्स्थापन कार्य।
v) अंबाबार वितरणी के चेन 0.00 से 127.00 चेन तक का पुनर्स्थापन कार्य।
vi) चाको वीयर योजना के विभिन्न संरचनाओं का मरम्मति कार्य।
vii) वीयर के उपरी एवं निचले भाग में क्रेटेड बोलडर पींचीग कार्य।
viii) चाको वीयर योजना के U/S एवं D/S Aquaduct में Guard Wall का निर्माण कार्य।

4. प्रस्तावित पुनर्स्थापन कार्य कराये जाने के उपरांत 1200 हे० में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।

D:\Node-4\TA\L.K\Sanlekha\Medininagar\Chako.doc

5. प्रस्तावित कार्य वर्ष 2014–15 में प्रारंभ कर वर्ष 2015–16 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

6. इस कार्य पर होनेवाला व्ययः–

i) मुख्य शीर्ष 4701–मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उपशीर्ष–46–सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन, विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण, 43–अनुरक्षण मरम्मति एवं सुसज्जीकरण के अंतर्गत ₹ 600.00 लाख,

ii) मुख्य शीर्ष 4701–मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष–800–अन्य व्यय उपशीर्ष–46–सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन, विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण, 43–अनुरक्षण मरम्मति एवं सुसज्जीकरण के अंतर्गत ₹ 500.00 लाख एवं

iii) मुख्य शीर्ष 4701–मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष अंगीकृत उपयोजना उपशीर्ष–46–सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन, विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण, 43–अनुरक्षण मरम्मति एवं सुसज्जीकरण के अंतर्गत ₹ 300.00 लाख के अंतर्गत विकलनीय होगा।

7. प्रस्तावित कार्य जलपथ प्रमंडल, मेदिनीनगर द्वारा कराया जायेगा तथा कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमंडल, मेदिनीनगर इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होगें एवं मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

8. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर दिये गये निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से पालन करना अनिवार्य होगा।

9. पुनर्स्थापन कार्य कराने के पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य के उपरांत स्टील फोटो ग्राफी एवं विडियो ग्राफी कराया जाएगा।

10. प्रस्तावित कार्य हेतु राशि की निकासी पलामू कोषागार से की जायेगी।

11. प्रस्तावित कार्य के लिए वर्ष 2014–15 के बजट में सिंचाई योजना के पुनर्स्थापन कार्य हेतु एकमुस्त उपबंध है।

12. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।

13. झारखण्ड कोषागार सहिता के नियम–300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

14. प्रस्ताव पर माननीया मंत्री, जल संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

15. राज्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

16. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखंड, पो०–हिनू राँची को संसूचित किया जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह०/–

(सुनील कुमार सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)

D:\Node-4\TA\L.K\Sanlekha\Medininagar\Chako.doc

पत्रांक :– 1/पी०एम०सी०/कार्य/636/2011– .... राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– आंतरिक वित्तीय सलाहाकार, जल संसाधन विभाग, को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार झारखण्ड राँची को प्रेषण हेतु/वित्त विभाग, झारखण्ड राँची एवं योजना एवं विकास विभाग झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(सुनील कुमार सिन्हा)
सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांक :– 1/पी०एम०सी०/कार्य/636/2011– .... राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– पलामू कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(सुनील कुमार सिन्हा)
सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांक :– 1/पी०एम०सी०/कार्य/636/2011– 22/14-159 (नि०) राँची, दिनांक 06.08.2014

प्रतिलिपि :– सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर,/ अधीक्षण अभियंता, रूपांकण आयोजन एवं मोनिटरिंग अंचल, मेदिनीनगर/कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमंडल, मेदिनीनगर /वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6.8.14

(सुनील कुमार सिन्हा)
सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)

06/08/14